मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :– शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

विजय कुमार S/o बुधराम जाति ब्राह्मण निवासी करणपुरा बनाम 1. बुधराम S/o रामलाल 2. संजय कुमार S/o बुधराम 3. सुनिता D/o बुधराम जाति-ब्राह्मण नि० करणपुरा 4. ICICI शाखा 3KRP 5. राज० सरकार जरिये तहसीलदार भादरा

दावा बाबत :– 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :– 193/2020

निर्णय दिनांक :– 18/11/2021

वादी की ओर से वकील विनोद पूनियां की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18/11/21 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा चक 2 BHP के खाता संख्या 9/10, 9 के मु०नं० 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20 की कुल 12.524 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला रास्ता में प्रतिवादी बुधराम के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, में से प्रतिवादी बुधराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी विजय कुमार व प्रतिवादी संख्या 2 संजय कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं, चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने अपना हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में तर्क कर शून्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा हो। यदि उक्त भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। राजीनामा को डिक्री का भाग पढ़ा जावें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

शकुंतला चौधरी (RAS)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (हनुमानगढ़)